

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

मिसल संख्या - 130/2022

निर्णय दिनांक :- 26.05.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र -

भरतसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी कुन्देडा तहसील देवली जिला टोंक
राज0

-प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

-अप्रार्थी पक्ष-


प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 397/47 रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम भीवडावास तहसील देवली जिला टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाशत की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता कथनानुसार पडोसी खातेदार से सीमा विवाद नहीं है।

अतः जमाबंदी संवत् 2075-78 में अंकित आराजी खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 397/47 रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम भीवडावास तहसील देवली जिला टोंक, की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/- रू0 निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
देवली